

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— BRRDA(HQ)-MMGSY-834/25
प्रेषक,

2529

/पटना, दिनांक 17/9/25

संजय कुमार भा.प्र.सं.
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (NDB) मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0519 (एनडीबी), विपत्र कोड-37- 4515001030519 के अंतर्गत योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-NDB(BRICS)-76/17-Part-II-710 पटना, दिनांक-23.07.2019।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, धमदाहा के अधीन प्रासंगिक पत्र में अंकित योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न तालिका के स्तम्भ-7-8 में अंकित योजना के सामने स्तम्भ-12 में अंकित योजनावा राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:-

Table-A											
Sl No	District	Division	Block	Target Habitation Name	Population Benifited	Name of Road		Link No	Length (Km)	Original Administrative Approval Amount (in Lakh)	Revised Administrative Approval Amount (in Lakh)
						From	To				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Purnia	Dhamdaha	Dhamdaha	डुमरिया	308	Lafa Chowk	Dumariya	S027	2.025	169.28	229.570
2	Purnia	Dhamdaha	Dhamdaha	मदरोनी	765	Banshi Purandha	Madrouni	S020	3.260	271.280	364.480
Grand Total									5.285	440.560	594.050

2. इन योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक-15.09.2025 को निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है:-

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी करना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत योजना किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
- इन योजनाओं के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता वर्णित योजना के लिए ई-निविदा के माध्यम से Standard Biding Document के आधार पर निविदा आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे।

4. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।

(9)

5. सारणी में अंकित उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY-834/25 के पृष्ठ-12/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगा।
(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53/2007-12888/वि0, दिनांक-03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
(ङ.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY-834/25 पृष्ठ संख्या-14/टि0 पर दिनांक-17.12.2025 को प्राप्त है।

विश्वसभाजन



17/12/25

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-17/12/25

ज्ञापक: BRRDA(HQ)-MMGSY-834/25

2529

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



17/12/25

सरकार के संयुक्त सचिव